सर्वहारा दृष्टिकोण

डिजिटल संस्करण
इंटरनेट के जरिये वितरण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) SUCI (C) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-40 अंक 23 | 7 से 21 दिसम्बर 2025 | मुख्य संपादक: कॉमरेड प्रभास घोष | कुल पृष्ठ : 8 | मूल्य : 4 रुपये | पृष्ठ 1

चारों लेबर कोड खारिज करो और 29 लेबर कानूनों को फिर से लागू करो

—एसयूसीआई (सी)

सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कम्युनिस्ट) के महासचिव कॉमरेड प्रभास घोष ने 22 नवम्बर को जारी बयान में कहा :

"हम बीजेपी-नीत केंद्र सरकार के उस मनमानी अधिसूचना की कड़ी निंदा करते हैं, जिसमें कड़ी मेहनत के बल पर बनवाये गए 29 लेबर कानूनों को निरस्त करके तुरंत प्रभाव से चार कठोर मजदूर-विरोधी, जनविरोधी और एकाधिकारी पूंजीपति-परस्त चार लेबर कोड लागू किये गए हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के तुरंत बाद, लेबर कोडों को लागू करना एकाधिकारी पूंजीपतियों की कंपनियों के कहने पर आम मेहनतकश लोगों के ट्रेड यूनियन और जनवादी अधिकारों के आखिरी नामोनिशान को भी मिटा देने की एक फासीवादी तानाशाही कोशिश है।

हम चारों लेबर कोड को तुरंत खारिज करने और 29 लेबर कानूनों को फिर से लागू करने की मांग करते हैं।

लेबर कोड को लागू करने की साफ तौर पर निंदा करते हुए, हम सभी तबकों के लोगों, खासकर मजदूर वर्ग से अपील करते हैं कि वे केंद्र सरकार के इस संगीन हमले का विरोध करने के लिए दीर्घकालिक संयुक्त आंदोलन खड़ा करें।

'आपका लाल झंडा ही असली है, उसे एक बार स्पर्श कर लिया'

बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद मुझे भाजपा के एक अत्यंत सामान्य कार्यकर्ता की बातें याद आयीं–'हम गरीब हैं, हमें कुछ नहीं मिलता। हमारे लिए किसी भी मामले में कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो लोग भी थोड़ा-बहुत देते हैं, उसे हम छोड़ नहीं सकते, हम अपनी सारी मेहनत और अपना उसे ही सौंप देते हैं। अगर उसके बाद कहीं कुछ नहीं मिले! उसी डर की वजह से हमें बहुत कम में खरीदा जा सकता है।' वह पटना के एक गरीब मोहल्ले के एक गंदे कमरे में बैठा हुआ भाजपा उम्मीदवार की चमचमाती रंगीन तस्वीरों वाले चुनावी पर्चे को लिफाफे में भरते हुए ये बातें कह रहा था। एसयूसीआई (सी) के विचार सुनने के बाद उसकी प्रतिक्रिया थी–'आपकी बातें बिल्कुल सही हैं, ये ही तो गरीबों की जिंदगी की बातें हैं। लेकिन हम तो आसानी से कुछ मिल जाने का मौका नहीं छोड़ सकते'! बिहार चुनाव में आम आदमी को क्या मिला, शायद इस सवाल का सबसे सटीक जवाब यही हो सकता है।

लेकिन बड़े मीडिया घरानों का कहना है कि यहां की संचालक शक्ति सिर्फ जातिगत समीकरण, वादों की झड़ी और कानूनी व गैर-कानूनी दोनों तरीकों से उढ़ेला गया पैसा है! अगर इसी से सबकुछ हो गया होता, तो फिर चुनाव आयोग को खुद कमर कसकर केन्द्र की सत्ताधारी पार्टी के कहने पर वोट मैनेज क्यों करना पड़ा? इससे पता चलता है कि देशभर के आम लोगों की तरह, बिहार के आम लोगों को भी तथाकथित बड़ी-बड़ी संसदीय चुनावी पार्टियों पर कोई खास भरोसा नहीं है और उन पार्टियों के नेताओं को भी लोगों पर भरोसा नहीं है। पूरे भारत में संसदीय लोकतंत्र का जो चरित्र उभरा है, बिहार भी उसका अपवाद नहीं है। लोगों की उम्मीदों और असल जनमत के साथ चुनाव नतीजों का कोई संबंध ढूंढ़ना मुश्किल है।

अगर आप गांव-कस्बों में लोगों की भीड़ को थोड़ा सुनें, तो आप समझ सकते हैं कि देश में कहीं और की तरह बिहार के लोगों के मन में भी जो उम्मीद एक अदृश्य जल की धारा की तरह चुपचाप बह रही है, वह एक ऐसी पार्टी और नेता है, जो लोगों की बात कर सके। हालांकि अमीरों और पूंजीपतियों की ताबेदार बड़ी पार्टियों के नेता यह बात अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए वे ठीक इसी बिन्दु पर विभिन्न तरीकों से लोगों को धोखा देते हैं। राजनीति में गहराई से दिमाग न लगाने के अपने लम्बे दिनों की पुरानी बुरी आदत की वजह से लोग बार-बार धोखा खा जाते हैं। उन्हें इस भूलभुलैया से निकालकर रास्ता दिखाने और उनके असली उम्मीदों को पूरा करने के लिए लड़ना सिखाने का काम वामपंथियों का था, लेकिन क्या उन्होंने ऐसा किया? बिहार चुनाव के विश्लेषण में इस बात को अच्छी तरह से समझने की जरूरत है।

(शेष पृष्ठ 2 पर)

जीवन-आजीविका की ज्वलंत मांगों को लेकर ओडिशा सचिवालय पर
एसयूसीआई (सी) ने किया विशाल विरोध प्रदर्शन, 25000 हजार लोगों ने की शिरकत

भुवनेश्वर (ओडिशा) : रोजी-रोटी के विभिन्न जन मुद्दों पर एसयूसीआई (सी) की ओडिशा राज्य कमेटी के आह्वान पर 25 नवंबर को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। इसमें राज्य के सभी 30 जिलों से आये संगठित-असंगठित दोनों क्षेत्रों के मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, महिलाएं आदि लगभग 25000 लोग जोशो-खरोश के साथ शामिल हुए।

(शेष पृष्ठ 4 पर)

सरकार द्वारा अधिसूचित कर लेबर कोड लागू किये जाने के खिलाफ
देशभर में ट्रेड यूनियनों ने किया प्रतिरोध और इनकी प्रतियां फूंकी

मजदूर-विरोधी चार काले लेबर कोड लागू करने की अधिसूचना के विरोध में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साझे मंच के आह्वान पर 26 नवंबर को देशव्यापी विरोध दिवस मनाया गया, जिसमें इन लेबर कोडों को रद्द करने की मांग की गई।

नई दिल्ली : दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (सीटीयू) ने दूसरे मजदूर संगठनों के साथ मिलकर एक विरोध सभा की।

सभा को अन्य ट्रेड यूनियनों के नेताओं के अलावा एआईयूटीयूसी के

(शेष पृष्ठ 5 पर)

दिल्ली

दिल्ली: *जंतर मंतर पर मजदूरों की सभा को संबोधित करते हुए कॉमरेड रमेश पराशर*

बिहार चुनाव .....

(पृष्ठ 1 का शेष)

हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में दो खेमों का प्रचार सबसे ज्यादा देखने को मिला। पहला, भाजपा, जदयू, लोजपा(आर), हम और रालोमो को लेकर एनडीए गठबंधन और दूसरा, राजद, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआई (एम), सीपीआई (एमएल) लिबरेशन, वीआईपी और आईआईपी को लेकर महागठबंधन। इसके अलावा, बसपा, जन सुराज पार्टी और एआईएमआईएम ने अकेले-अकेले चुनाव लड़ा है। एसयूसीआई(सी) ने इन गठबंधनों से अलग रहकर और क्रांतिकारी वामपंथ के आधार पर संघर्ष के आह्वान के साथ 36 सीटों पर चुनाव लड़ा है।

लेकिन, भाजपा-जदयू गठजोड़ के खिलाफ पूरे बिहार में लोगों के अंदर गुस्सा रहने के बावजूद उन्हें इतनी सीटों पर जीत ने सवाल खड़े कर दिये हैं। कहा जा रहा है कि चुनाव के ऐन मौके पर महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये देना नीतीश कुमार का मास्टरस्ट्रोक है। लेकिन, बिहार में चरम बेरोजगारी, लाखों प्रवासी मजदूरों का राज्य से पलायन, बाहुबलियों का वर्चस्व, हर स्तर पर फैले भ्रष्टाचार, अवैध शराब की बड़े पैमाने पर उपलब्धता और महिलाओं की सुरक्षा में भारी गिरावट के खिलाफ लोगों में हर जगह आक्रोश है। इस बार चुनाव के दौरान लोगों ने बाहुबलियों का खुला दबदबा और यहां तक कि सरेआम हत्या भी देखी है। इस बार भी कई बाहुबली जीते हैं और वे जेल में रहते हुए भी अपना दबदबा चला रहे हैं। एक ओर अडानी को लगभग मुफ्त में हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन दे दी गयी है, तो दूसरी ओर किसानों को सड़क पर ला दिया गया है। सरकारी स्कूलों और अस्पतालों खस्ताहाल हैं। एनडीए सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के निजीकरण के जरिये उन्हें बड़ी पूंजी के हवाले कर दिया है। इन सबसे आक्रोशित लोग सरकार की विदाई चाहते थे। क्या ऐसे लोगों को मात्र 10 हजार रुपये देकर शासक समुदाय सबकुछ भुला देना चाहता था? कितनी असहाय स्थिति में होने पर लोग अपने जीवन के इतने दुखों को भुलाकर इन्हें वोट दे सकते हैं! इस घुप अंधेरे में लोगों के पास चुनने का मौका नहीं है, इसलिए उन्हें जो भी थोड़ा-बहुत मिल रहा है, उसे ही पाने की आस में वे अपना सबकुछ खो रहे हैं। क्या यही लोकतंत्र है!

जेडीयू के पुराने नेता प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के बारे में शुरू से ही यह प्रचार था कि भाजपा और नीतीश कुमार के शासन के खिलाफ लोगों के आक्रोश का लाभ विपक्ष को न मिल जाये, इस जिम्मेदारी का पालन करने के लिए ही उसका उदय हुआ है। सुनने में आ रहा है कि इसे वित्तीय तौर पर काफी हद तक भाजपा के करीबी उद्योपतियों ने सहयोग किया है। उसने लोगों के आक्रोश का लाभ विपक्षी गठबंधन की ओर न जाने देकर दरअसल भाजपा को ही मदद की है। किसी भी सीट पर जीत दर्ज न कर पाने के बावजूद यह पार्टी 115 सीटों पर तीसरे नम्बर पर और एक पर दूसरे नंबर पर रही है। पिछले कई चुनावों की तरह ही मुस्लिम साम्प्रदायिकता के आधार पर चुनाव लड़ने वाले असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम व्यवहारत: इस बार भी भाजपा की मददगार की भूमिका में ही रही है।

लोग जायें तो किसके पास जायें? मुख्य विपक्षी गठबंधन की अहम घटक राजद के 'जंगलराज' का आतंक और उसके शासन में हुआ बेहिसाब भ्रष्टाचार लोगों के मन से अभी भी मिटा नहीं है। अगर वे भी सत्ता में आते हैं, तो कुछ नया करेंगे–यह उम्मीद भी लोगों में नहीं है। उनके लिए जातिवादी समीकरण के आधार पर चलने और भाजपा-नीतीश कुमार-विराधी हवा को अपने पक्ष में करने के अलावा करने को और कुछ नहीं है। कांग्रेस की कमर तो पहले से ही टूटी हुई है। ऊपर से, यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि उसमें केन्द्रीय नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक जमीनी स्तर पर काम करने वाला कोई नहीं है। यही वजह है कि एसआईआर के जरिये मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटाने की साजिश के खिलाफ कांग्रेस के प्रचार-प्रोपगैंडा और सभा-जुलूस वगैरह लोगों पर असर डाल पाते, इससे पहले ही उसके मुख्य नेता राहुल गांधी दो महीने के दक्षिण अमेरिका के दौरे पर चले गये। निचले स्तर के नेता-कार्यकर्ता भी सोशल मीडिया और अखबारी प्रचार के भरोसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। चुनाव से पहले महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर जो झगड़े और कलह लोगों को देखने को मिले, उससे उन पर लोगों को भरोसा होता तो कैसे? गठबंधन के घटक वाम दलों पर बाद में आते हैं।

बिहार में चुनाव आयोग की भूमिका शुरू से ही सवालों के घेरे में रही है। पहली बात, एसआईआर जल्दबाजी में की गयी और इसका घोषित मकसद सभी सही मतदाताओं का पंजीकरण करने के बजाय उनका नाम मतदाता सूचियों से हटाना, जिससे आयोग की भूमिका पर सवाल उठे हैं। एसआईआर में बिहार में शुरू में 65 लाख नाम हटा दिये गये थे, जिनमें से 22 लाख मर चुके थे और 7 लाख मतदाताओं के नाम कई जगहों पर थे। बाकी 36 लाख मतदाताओं के नाम क्यों हटाये गये, इसका कोई भरोसेमंद जवाब नहीं है। दूसरी बात, फाइनल एसआईआर सूची में और 3.66 लाख नाम हटा दिये गये, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाये हैं। तीसरी बात, 30 सितम्बर को 7.42 करोड़ मतदाताओं के नाम फाइनल मतदाता सूची में प्रकाशित किये गये। पहले चरण के मतदान के बाद चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाताओं की संख्या 7.45 करोड़ थी। ये अतिरिक्त 3 लाख मतदाता कहां से आये? चुनाव आयोग का जवाब है कि उन्होंने नामांकन करने के आखिरी दिन से पहले उनके नाम रजिस्टर किये। फिर भी सवाल बना हुआ है। चौथा, 21 लाख नये नाम जोड़े गये हैं, जिनमें से 14 लाख 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नये मतदाता हैं, शेष 7 लाख नामों के जुड़ने का क्या स्पष्टीकरण है? आयोग ने इसका जवाब नहीं दिया है। इसका नतीजा क्या हुआ? एनडीए ने 202 सीटें जीतीं, जिनमें से 128 सीटें उन्होंने जितने मतों के अंतर से जीती हैं, उससे ज्यादा नाम एसआईआर द्वारा हटाये गये हैं। आइए, कुछ विशेष निर्वाचन क्षेत्रों को मिसाल के तौर पर लेते हैं। भाजपा ने मुजफ्फरपुर में 616 मतों से जीत हासिल की। इस निर्वाचन क्षेत्र में 2,400 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाये गये। भोजपुर में जेडीयू 27 वोटों से जीती। यहां एसआईआर के जरिये 25,682 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिये गये। मटिहानी में जेडीयू 5,290 वोटों से जीती, जबकि यहां एसआईआर द्वारा 33,700 मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिये गये। कई निर्वाचन क्षेत्रों में एनडीए की जीत का अंतर 27 से 900 मत होने से सवाल खड़े होते हैं। इससे पहले, 2024 में महाराष्ट्र में सिर्फ पांच महीने में 40 लाख मतदाताओं के नाम जोड़ने के बारे में कमीशन कोई भरोसेमंद जवाब नहीं दे सका। कर्नाटक में सैकड़ों मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आवेदन देने वाले लोगों के बारे में जानकारी देना दर्शाता है कि वे इसके बारे में तनिक भी नहीं जानते। न सिर्फ बिहार में, बल्कि देश में हर जगह आज चुनाव आयोग की भूमिका सवालों के घेरे में है। यही वजह है कि भाजपा सरकार ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के नियम बदल दिये हैं और चयन समिति से देश के मुख्य न्यायाधीश को हटाकर उनकी जगह प्रधानमंत्री की पसंद के मंत्री को रख दिया है। चुनाव आयुक्तों का भविष्य अब पूरी तरह से सत्ताधारी पार्टी की पसंद पर निर्भर है। क्या यह आयोग निष्पक्ष हो सकता है? भारत में आज सरकार और चुनाव आयोग की यह भूमिका अनजानी नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि यह जानते हुए भी मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने क्या भूमिका निभाई? क्या वे मीडिया में अपना चेहरा दिखाकर बीजेपी-आरएसएस जैसी संगठित ताकतों का सामना करने का सपना देखने में व्यस्त हैं? कांग्रेस सही समय पर बूथ स्तर पर प्रतिरोध खड़ा करने में ही तो नाकाम रही है! जमीन पर असली राजनीति करने के बजाय, नेता सोशल मीडिया पर सबकुछ करने में व्यस्त हैं! उनके दक्षिणपंथी सहयोगियों की तो बात ही छोड़िए, लेकिन उन वामपंथी पार्टियों की सोच क्या है, जो इस कांग्रेस के जरिये भाजपा को रोकने की बात कर रही हैं?

बिहार चुनाव ने एक बार फिर दिखा दिया है कि जैसे साम्प्रदायिक भाजपा मेहनतकशों की मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, वैसे ही भाजपा की विरोधी मानी जाने वाली जाति आधारित पार्टियों और कांग्रेस में से किसी की भी भूमिका अलग नहीं है। तो फिर रास्ता क्या है? लोगों को आसानी से कुछ मिल जाने का लालच देकर जो लोग उनके वोट खरीदना चाहते हैं, अगर उनके साथ रहकर वामपंथियों को कुछ सीटें मिल जायें, तो क्या इसी से हल हो जायेगा? लेकिन क्या लोगों ने भरोसे का हाथ नहीं मांगा है? पटना हो या भागलपुर, मुजफ्फरपुर हो या कांटी, हर जगह एसयूसीआई (सी) के कार्यकर्ताओं को प्रचार करने के दौरान एक तजुर्बा मिला है। वह यह है कि लोगों में वामपंथ के बारे में काफी आकर्षण है। मानो वे उनका आह्वान सुनने के लिए अपना कान खड़े किये हों। यही बात मिसरपुर चौक पर एक अधेड़ उम्र के आदमी ने सुल्तानगंज से एसयूसीआई(सी) के उम्मीदवार सुनील कुमार की प्रचार गाड़ी रुकने पर कही थी। उन्होंने कहा थाकि जिस तरह आप इन दोनों पक्षों को बेनकाब कर रहे हैं, वैसा दूसरी वामपंथी पार्टियां नहीं कर रही हैं! अगर आप चुनाव न भी जीतें, तो मुझे याद रहेगा कि आप ही लोगों ने हमारी बात उठायी थी। यही रास्ता है। एक क्षेत्र में प्रचार के दौरान सीपीआई के एक बुजुर्ग कार्यकर्ता ने एसयूसीआई(सी) के प्रचार से एक आदमी को बुलाया और उससे लाल झंडा मांगकर उसे पकड़कर बैठा रहा। उसने कहा, ''जब मैं लाल झंडा लेकर कांग्रेस और आरजेडी कार्यकर्ताओं के पीछे चलता हूं, तो मुझे बड़ी शर्म आती है। इसलिए मैंने आपके हाथ में थामे झंडे को छू लिया।''

एसयूसीआई(सी)ने चुनाव से पहले वामपंथी पार्टियों और वामपंथी सोच वाले लोगों से यही अपील की थी। भाजपा-विरोध के नाम पर यह लोगों की मांगों को लेकर जन आन्दोलन का रास्ता छोड़कर मात्र कुछ सीटें प्राप्त करने का गठजोड़ नहीं, बल्कि संयुक्त वामपंथी आन्दोलन ही एकमात्र वैकल्पिक रास्ता है। चुनाव प्रचार के दौरान वामपंथी सोच वाले लोगों ने एसयूसीआई (सी) के कार्यकर्ताओं को बुलाया और कहा, ''पिछली बार तो वामपंथियों ने कई सीटें जीती थीं। लेकिन आप लोगों ने जिस तरह से जात-पात से ऊपर उठकर सभी मेहनतकशों की बात कर रहे हैं, वे ऐसा नहीं कर पाये। इस बार भी, वे कुछ सीटें जीत सकते हैं। लेकिन इससे वामपंथ को कितना फायदा होगा?'' इन वामपंथियों को भी लोग राजद-कांग्रेस की तरह एक ही स्तर का सोचते हैं। लेकिन बिहार में वामपंथियों ने पहले भी कई आन्दोलन किये हैं। इस तरह से वे जनता को दक्षिणपंथियों के हाथों में सौंपकर अपनी सीटें गिनने में व्यस्त हैं। यह देखकर वामपंथी सोच रखने वाले लोग दुखी हो गये। ऐसे समय में जब एसयूसीआई(सी) ने पूरे देश में और चुनाव मैदान में भी क्रांतिकारी वामपंथ का परचम बुलंद किया है, उसे सीटों या वोटों की संख्या से नहीं आंका जा सकता। सामाजिक बदलाव का सही रास्ता दिखाने वाले इस निशान को ऊपर उठाये रखने वाले सशक्त हाथों को और ताकतवर बनाने का सवाल ही मुख्य सवाल है। ●

जबरन कृषि भूमि अधिग्रहण और विरोध करने पर गिरफ्तारी के खिलाफ
ग्रामीणों ने किया पुलिस थाने का घेराव

पटाना/क्योंझर (ओडिशा): पटाना तहसील के सैकड़ों ग्रामीणों ने 27 नवंबर को सुबह तुरु-मुंगा पुलिस थाने का घेराव किया और जिंदल-पोस्को प्रतिरोध मंच (जेपीपीएम) के छह नेताओं की तत्काल रिहाई की मांग की, जिन्हें बुधवार रात गिरफ्तार किया गया था।

गिरफ्तार नेताओं की पहचान जेपीपीएम सचिव बेणुधर सरदार, उनके भाई भुवनानंद सरदार, मंच के उपाध्यक्ष सरोज कुमार सिंह, रवींद्र मोहंत, वरिष्ठ कार्यकर्ता अनम नायक और बीरेंद्र महाकुर के रूप में हुई है। तुरुमुंगा पुलिस ने डकैती का मामला (265/25) दर्ज कर गुरुवार को उन्हें अदालत में पेश किया।

खबरों के अनुसार, संयंत्र प्रभावित गांवों के 2,000 से अधिक ग्रामीणों ने हातिबारी चौक से एक जुलूस निकाला और एनएच-49 होते हुए तुरुमुंगा पुलिस थाने पहुंचे। पुलिस ने उन्हें थाने के सामने सर्विस रोड के पास हिरासत में ले लिया, जहां प्रदर्शनकारियों ने बुधवार रात सभी गिरफ्तार लोगों की रिहाई और गिरफ्तारी के दौरान छीने गए उनके मोबाइल फोन वापस करने की मांग को लेकर धरना दिया। उन्होंने कृषि भूमि पर स्टील प्लांट बनाना रोकने, पॉस्को के साथ समझौता ज्ञापन रद्द करने की भी मांग की और अपनी जमीन के बदले खून बहाने की धमकी दी। आखिरकार शाम 5 बजे जिला परिषद के सीडीओ सह ईओ कुमार नागभूषण, एएसपी स्नेहाशीष साहू, पटाना तहसीलदार अश्विनी नायक, बीडीओ और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के हस्तक्षेप और उनसे बातचीत के बाद वे मान गए।

आधी रात को ग्रामीणों के घरों में घुसकर दरवाजे और ग्रिल तोड़ने की पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए जेपीपीएम अध्यक्ष घनश्याम मोहंता ने प्रेस बयान में बताया कि ग्रामीण अपने घरों और कृषि भूमि बचाने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस द्वारा उन पर सख्त धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है ताकि जमानत मिलना मुश्किल हो जाए। उन्होंने उन सभी को तुरंत बिना शर्त रिहा करने की मांग की।

ऑल इण्डिया किसान खेत मजदूर संगठन के सलाहकार और राज्य सचिव तथा जूम के सलाहकार कॉमरेड रघुनाथ दास ने गिरफ्तारी को अलोकतांत्रिक बताया। कॉमरेड दास ने कहा कि जिंदल-पोस्को द्वारा कृषि भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन को तोड़ने के लिए सरकार के निर्देश पर क्योंझर जिला पुलिस-प्रशासन ने आधी रात को ग्रामीणों की खिड़कियों की ग्रिल तोड़ दी, उनके मोबाइल फोन छीन लिये और छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने आगे बताया कि पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया।

चंपुआ की उप-मंडल पुलिस अधिकारी रश्मि रंजन साहू ने कहा कि हम प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर रहे हैं। कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

सूत्रों के अनुसार, पटाना तहसील में प्रस्तावित मेगा स्टील परियोजना की ग्राम सभा जल्द ही शुरू होने वाली है, इसलिए प्रशासन संभवत: किसी भी विरोध प्रदर्शन को रोकने और भूमि अधिग्रहण के लिए शांतिपूर्ण बैठक आयोजित करने के लिए ये कदम उठा रहा है।

एसडीपीओ ने दावा किया कि इन छह लोगों को कुछ दिन पहले एक व्यक्ति पर हमला करने और मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

लाल किला धमाका—कुछ जरूरी सवाल

पिछले 10 नवंबर को दिल्ली के घनी आबादी वाले मशहूर लाल किला इलाके में एक कार धमाका हुआ, जिसमें कम से कम 10 लोग मारे गए और 30 से ज्यादा घायल हो गए। इसके बाद, सत्ताधारी बीजेपी नेताओं ने इसके ''जिम्मेदार लोगों'' को सजा दिलाने की कसम खाई। इस धमाके का असर पूरे भारत में महसूस किया गया। देशभर के एयरपोर्टों, रेलवे स्टेशनों, सरकारी इमारतों और ऐतिहासिक जगहों को हाई अलर्ट पर रखा गया।

याद होगा कि दिल्ली में पिछले कुछ दशकों में कई धमाके हुए हैं, जिनमें बस डिपो और भीड़भाड़ वाले बाजार जैसी सार्वजनिक स्थानों को निशाना बनाया गया था। एक बार तो हथियारबंद बदमाश भारतीय संसद परिसर में भी घुस गए थे, सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर हिंसा और हत्या करने की कोशिश की थी। मौजूदा घटना के पीछे प्रधानमंत्री मोदी ने ''साजिश'' बताया है, जबकि केंद्रीय रक्षा मंत्री ने दोषियों को सजा दिलाने का वादा किया है। जम्मू-कश्मीर पुलिस को शक है कि एक टेरर मॉड्यूल–जिसके तार अंतराष्ट्रीय पैमाने पर फैले हुए हैं और कई राज्यों में भी फैले हुए हैं–इस धमाके के लिए जिम्मेदार हो सकता है। जांच का नतीजा जो भी हो, कुछ बुरे संकेत मिल रहे हैं। इनमें सबसे खास बात यह है कि दिल्ली बम धमाका केस में फैसला चाहे जो भी हो, पर इस तरह के अपराध की बुराई खत्म नहीं हुई है।

यही बात समझने की जरूरत है। जब नवंबर 2016 में नोटबंदी की घोषणा की गई थी, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इस कदम से टेररिस्ट फंडिंग पर रोक लगेगी। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था, "अगर आपको मेरे इरादों या मेरे कामों में कुछ भी गलत लगे, तो मुझे बीच चौराहे सबके सामने फांसी पर लटका देना"। अब यह साफ है कि न तो आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगी है और न ही प्रधानमंत्री ने खुद को फांसी पर लटकाने की पेशकश की है।

26 सितंबर 2016 को कथित रूप से पाकिस्तान की शह पाये हुए आतंकवादियों ने कश्मीर के उरी में भारतीय फौज के कैंप पर हमला किया। दस दिन बाद भारत ने बताया कि उसने पाकिस्तान नियंत्रित इलाके में आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप पर "सैन्य सर्जिकल स्ट्राइक" की है। भारतीय फौजी हलकों ने दावा किया कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पार लॉन्चपैड पर खास तारीखों पर आतंकवादियों की मौजूदगी की भरोसेमंद इंटेलिजेंस के आधार पर कुछ खास स्पेशल फोर्सेज की टुकड़ियों ने बॉर्डर पार हमले किये। लेकिन दावा किये गए किसी भी लॉन्चपैड पर कोई मिलिटेंट ग्रुप नहीं मिला, जिससे आस-पास कैंप होने का दावा गलत साबित हुआ। तीन साल बाद, जब फरवरी 2019 में जम्मू-कश्मीर राज्य के पुलवामा जिले के लेथापोरा में भारतीय सुरक्षा कर्मियों को ले जा रही गाड़ियों के काफिले पर एक गाड़ी में सवार सुसाइड बॉम्बर ने हमला किया, जिसमें सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) के 40 जवान मारे गए, तो बीजेपी सरकार ने तुरंत पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उस पर भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। और फिर 26 फरवरी 2019 को भारतीय सेना के विमानों ने लाइन ऑफ कंट्रोल (एलओसी) पार करके पाकिस्तान के बालाकोट में बम गिराए। भारत ने दावा किया कि उसने जैश-ए-मोहम्मद के एक ट्रेनिंग कैंप पर हमला किया, जो एक आतंकवादी ग्रुप है, जिसे पुलवामा हमले के लिए जिम्मेदार माना जाता है और बड़ी संख्या में आतंकवादियों को मार गिराया, जिनकी संख्या 300 से 350 के बीच बतायी जाती है। हालांकि, रॉयटर्स द्वारा रिव्यू की गई हाई-रिजॉल्यूशन सैटेलाइट तस्वीर से पता चलता है कि उत्तर-पूर्वी पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद (JeM) का चलाया जाने वाला एक धार्मिक स्कूल भारत के यह दावा करने के कुछ दिनों बाद भी खड़ा दिख रहा है कि उसके लड़ाकू विमानों ने ग्रुप के ट्रेनिंग कैंप पर हमला किया था। साथ ही कुछ पाकिस्तानी स्थानीय लोगों के हवाले से, एक न्यूज मीडिया ने कहा कि भारतीय हवाई हमले में सिर्फ कुछ चीड़ के पेड़ गिरे और कुछ कौवे ही मारे गए। इससे पहले सितंबर 2016 में भी उरी में भारतीय सेना के एक बेस पर हमले ने ऐसी ही स्थिति पैदा कर दी थी, जब दिल्ली ने तथाकथित "सर्जिकल स्ट्राइक" से जवाब देने का फैसला किया था। कुछ महीने पहले, ठीक अप्रैल 2025 में आतंकवादी बताये गए कुछ शख्स, जो कथित तौर पर पाकिस्तान से गैर-कानूनी तरीके से बॉर्डर पार करके घुसे थे, ने कश्मीर के पहलगाम में 28 लोगों को गोली मार दी, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। कुछ ही समय में बीजेपी सरकार के कहने के मुताबिक, भारत ने पाकिस्तान पर हवाई हमला किया ताकि वहां मौजूद आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया जा सके। पाकिस्तान ने भी जवाबी हमले किये। लेकिन फिर 4 दिन बाद दोनों तरफ से युद्ध विराम पर सहमति बन गई। हर मौके पर भारत सरकार ने आतंकवादी गिरोहों की किसी भी आगे की गतिविधि को नाकाम करने का दावा किया। लेकिन सच तो यह है कि आतंकवादी हमलों में कमी आने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। इसलिए आतंकवाद को रोकने के भारत सरकार के दावे की सच्चाई सवालों के घेरे में है।

दिल्ली बम धमाका और पुलवामा हमले में समानता

2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले, जिसमें विस्फोटकों से भरी कार का इस्तेमाल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) के जवानों को बम धमाका करके मारने के लिए किया गया था और सोमवार को दिल्ली में हुए कार बम धमाके में समानताएं लगती हैं। पुलवामा हमले में आतंकवादियों ने मारुति ईको कार का इस्तेमाल किया था और दिल्ली के कार बम धमाके में सूत्रों ने कहा कि एक हुंडई आई20 हैचबैक जांच के दायरे में है। लेकिन अभी यह पता नहीं चला है कि जिस धीमी गति वाली कार से धमाका हुआ, उसमें लोग थे या नहीं। सूत्रों ने एक बात और जोड़ते हुए कहा कि धमाका गाड़ी के पिछले हिस्से में हुआ था, शायद डिक्की में।

लेकिन फिर विस्फोटकों से भरी कारें भारत के बहु-प्रशंसित निगरानी तंत्र से कैसे बच सकती थीं? यह पाया गया है कि हालांकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां आतंकवादी घटनाओं या हिंसा को पहले से नहीं रोक पायीं, लेकिन वे साजिशों को जल्दी से सुलझाने और घटनाओं के बाद दोषियों की शिनाख्त करने में बहुत अच्छी हैं। खबर है कि फरीदाबाद में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर उमर उन-नबी दिल्ली में सुसाइड बॉम्बर थे। तीन मुस्लिम डॉक्टरों को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में सबूतों के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन कश्मीर की ही एक और संदिग्ध डॉ. प्रियंका शर्मा के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि उन्हें जल्दी ही छोड़ दिया गया। लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों ने कश्मीर के पुलवामा में डॉ. नबी के मकान को बुल्डोजर से गिराने में कोई देर नहीं की। सरकार ने कहा कि उसे और भी सबूत और जगहें मिली हैं, जो मुस्लिम कनेक्शन की ओर इशारा कर रही हैं।

घोड़ी चोरी होने के बाद अस्तबल में लगाया जाता है ताला

गौरतलब बात यह है कि हर बार, कहावत में कहें तो, घोड़ी चोरी होने के बाद अस्तबल में ताला लगा दिया जाता है। यही बात भारतीय सुरक्षा व्यवस्था की कार्य कुशलता पर सवाल उठाती है। कोई भी ऐसे आतंकवादी काम का समर्थन नहीं कर सकता, जिसमें बेगुनाहों की जान चली जाए। लेकिन फिर, आतंकवादी देश की राजधानी में भी बेरोक-टोक कैसे काम कर रहे हैं? भारतीय सुरक्षा एजेंसियां उनकी मौजूदगी का पता लगाकर उनके प्लान का पहले से पता क्यों नहीं लगा पातीं? घटनाओं के बाद वे इतनी समझदार क्यों हो जाती हैं? आम तौर पर भारतीय अधिकारियों द्वारा एक ही राग अलापा जाता है कि विदेशी हाथ भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर विदेशी एजेंट एक तेज नजर वाले सुरक्षा नेटवर्क के बीच अपनी योजनाएं इतनी आसानी से कैसे बना और कार्यान्वित कर पाते हैं? तो क्या हम यह मान लें कि विदेशी जासूसी एजेंसियां हमारी एजेंसियों से ज्यादा कार्य कुशल हैं? इसके अलावा, बॉर्डर पार प्रशिक्षित आतंकवादियों को भेजने के लिए पड़ोसी देश पाकिस्तान पर उंगली उठायी जा रही है। हो सकता है कि पाकिस्तानी शासक भारत में आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन फिर मिलिट्री इंटेलिजेंस समेत कई इंटेलिजेंस विंग होने के बावजूद बॉर्डर पार से आतंकवादियों की गैर-कानूनी घुसपैठ का पता क्यों नहीं चल पाता? साथ ही, घटनाओं के बाद आतंकवादी कार्रवाइयों या हलचलों की पूरी जानकारी, साथ ही तोड़फोड़ को अंजाम देने वालों के ठिकानों का घटनाओं के घटित हो जाने के बाद कैसे पता चल पाता है? दिल्ली धमाके के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि कार धमाके की साजिश रचने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन हमले के बाद सरकार बहुत ज्यादा सावधानी बरत रही थी और कट्टर दुश्मन पाकिस्तान का जिक्र तक नहीं किया गया था। शायद पाकिस्तानी शासकों की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हालिया साठगांठ और ऑपरेशन सिंदूर के युद्ध को रुकवाने के ट्रंप के दावे ने भारत सरकार को ऐसा करने से मजबूर किया है।

अजीब इत्तेफाक

एक अजीब इत्तेफाक समझ से बाहर है। आतंकवादी हमला या प्लांटेड हिंसा ज्यादातर लोकसभा या विधान चुनाव से ठीक पहले होती है। उरी सर्जिकल स्ट्राइक गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मणिपुर में विधान चुनाव से ठीक पहले की गई थी। चुनाव प्रचार अभियान के दौरान, बीजेपी ने पाकिस्तान में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास आतंकवादी ठिकानों या लॉन्च पैडों पर "स्ट्राइक" को पॉलिटिक्साइज करने और चुनावी फायदा उठाने के लिए, खासकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में उरी सर्जिकल स्ट्राइक का बहुत ज्यादा प्रचार-प्रोपेगैंडा किया था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेताओं ने कई बैनर-होर्डिंगों में भारत की "सर्जिकल स्ट्राइक" की तारीफ की थी। साथ ही, उरी घटना का इस्तेमाल पाकिस्तान-विरोधी (छिपी हुई मुस्लिम-विरोधी) भावना भड़काने और मतदाताओं को धार्मिक आधार पर बांटने के लिए चालाकी से किया गया। बीजेपी चारों विधानसभा चुनाव में जीती। 2019 में पुलवामा हमले के बाद बालाकोट स्ट्राइक के तीन महीने बाद मई में लोकसभा के चुनाव हुए। एक बार फिर, बढ़ा-चढ़ाकर प्रचार करके देश में अंधराष्ट्रवाद और पाकिस्तान-विरोधी माहौल बनाया गया और बीजेपी ने केंद्र में दूसरी बार जीत हासिल की। 'ऑपरेशन सिंदूर' मई 2025 में तब शुरू किया गया, जब बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। दिल्ली में धमाका बिहार चुनाव के दूसरे चरण से पहले और पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव से पहले हुआ। बड़ा सवाल जो उठता है, वह यह है कि चुनाव से पहले हुए आतंकवादी हमलों के बाद बीजेपी की जीत क्यों होती है?

वैसे भी, आतंकवादी हिंसा की ऐसी बार-बार होने वाली घटनाएं, जिनसे लोगों की जान और संपत्ति को भारी नुकसान होता है, अक्सर सत्ताधारी तबके के एकतरफा प्रचार-प्रोपेगैंडा की वजह से अलग-अलग समुदायों के बीच अविश्वास पैदा करती हैं और माहौल में तनाव भर देती हैं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

कुछ सुरक्षा एजेंसियों के लिए आवंटित किये गए बजट की धन राशि इस प्रकार हैं :

इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) : 3,893.35 करोड़ रुपये।

नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (नेटग्रिड) : 158.23 करोड़ रुपये।

सिक्योरिटी से जुड़ा खर्च

(एसआरई) : 4,876.34 करोड़ रुपये

एनआईए : 394.66 करोड़ रुपये

रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रा) : 12,000 करोड़ रुपये (अनुमानित)

इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) : 3,893.35 करोड़ रुपये

ये सभी खर्च सरकारी खजाने से किये जाते हैं। इसलिए ये एजेंसियां देश के नागरिकों के प्रति जवाबदेह हैं और उन्हें यह बताना होगा कि संभावित आतंकवादी हिंसा के बारे में पहले से जानकारी क्यों नहीं मिल पाती है।

जागरूक नागरिक मंच ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन

स्वास्थ्य, स्वच्छता और बुनियादी ढांचे संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग

गुरुग्राम (हरियाणा): 'जागरूक नागरिक मंच' के तत्वावधान में 25 नवंबर को शहर के विभिन्न सेक्टरों और कॉलोनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले नागरिकों ने जिला उपायुक्त कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन करके शहर की बदहाल व्यवस्था और गंभीर जन समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग करते हुए जिला उपायुक्त, गुरुग्राम के नाम नायब तहसीलदार सुरेंद्र भारद्वाज को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन स्वीकार करते हुए नायब तहसीलदार ने इन मांगों को उच्च अधिकारियों और सरकार तक पहुंचाने और मंच के प्रतिनिधियों की अगले सप्ताह डीसी महोदय से मुलाकात करवाने का आश्वासन दिया ताकि इन पर सीधी वार्ता हो सके।

ज्ञापन में गत 16 नवंबर को हुए नागरिक कन्वेंशन में सर्वसम्मति से पारित शहर की स्वास्थ्य सुविधाओं, स्वच्छता और बुनियादी ढांचे से संबंधित आठ प्रमुख मांगें शामिल थीं।

धरना-प्रदर्शन के दौरान जागरूक नागरिक मंच के अध्यक्ष एडवोकेट राम सकल के अलावा सरवन कुमार (न्यू पालम विहार), निरंजन लाल (सूरत नगर फेज 2), अनिल पवार (एडवोकेट) और वजीर सिंह (लक्ष्मण विहार) ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया। उन्होंने शहर की समस्याओं पर विस्तार से अपने विचार रखते हुए त्वरित कार्रवाई की मांग की।

ज्ञापन की प्रतियां मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार, मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार और आयुक्त, नगर निगम, गुड़गांव को भी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की गईं।

एआईयूटीयूसी संबद्ध जागृति मोलकरणी संघर्ष समिति द्वारा घरेलू कामकाजी महिलाओं का दूसरा नागपुर सम्मेलन संपन्न

नागपुर (महाराष्ट्र): घरेलू कामकाज करनेवाली महिलाओं को संगठित कर साल 2024 में एआईयूटीयूसी से संबद्ध जागृति मोलकरणी संघर्ष समिति, नागपुर का गठन किया गया था। सफलता के साथ एक साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 24 नवंबर को पांढराबोडी नागपुर में समिति का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता कॉमरेड विद्या गुरनुले ने की। एआईयूटीयूसी की ऑल इंडिया कमेटी की ओर से कॉमरेड तमाल सांमत और कॉमरेड विजेंद्र राजपूत उपस्थित थे।

सम्मेलन में 11 सदस्यीय नई कमेटी बनायी गई, जिसमें अध्यक्ष कॉमरेड विजेंद्र राजपूत, उपाध्यक्ष कॉमरेड गणेशी मडावी व दिलीप दास, सचिव कॉमरेड पद्मा दास, सहसचिव कॉमरेड सुशिला सुरजूसे व कॉमरेड सिंधु आठवले और कार्यकारी सदस्य चित्रा खंडारे, गेंदबाई मडावी, दुर्गा वाघाडे, संगिता शेंडे आदि चुनी गयीं।

नई कमेटी की ओर से 13-सूत्री मांगों को लेकर 10 दिसंबर 2025 को नागपुर विधानसभा पर मोर्चा एवं ज्ञापन देना तय किया गया।

बिजली (संशोधन) बिल 2025 के खिलाफ सेमिनार आयोजित

कोट्टायम (केरल): बिजली (संशोधन) बिल-2025 के खिलाफ ऑल इण्डिया पावरमेन फेडरेशन (एआईपीएफ) ने 23 नवंबर को यहां एक सेमिनार आयोजित किया।

भुवनेश्वर : रैली को सम्बोधित करते हुए कॉमरेड शंकर दासगुप्ता

एसयूसीआई (सी) की रैली--

(पृष्ठ 1 का शेष)

यह विरोध प्रदर्शन 17-सूत्री ज्वलंत मांगों पर जोर देने के लिए था, जिनमें से कुछ ये हैं:

- हर क्षेत्र में, खासकर शिक्षण संस्थानों में महिलाओं पर हो रहे जुल्म और हिंसा बंद हो। सौम्यश्री और बलंगा लड़की के मामले में गुनाहगारों को कड़ी सजा मिले।
- शराब, ड्रग्स और दूसरी नशीली चीजों को फैलने से रोका जाए, इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिये फैलायी जा रही अश्लीलता, अपसंस्कृति और गलत व आपराधिक सोच का प्रसार-प्रचार रोका जाए। एसआईआर के जरिये चुपके से एनआरसी लाना रोका जाए।
- बंद किये गए ओडिया मीडियम के सभी स्कूलों को फिर से खोला जाए और सभी खाली पदों पर स्थायी शिक्षक/टीचिंग असिस्टेंट नियुक्त किये जाएं। फीस बढ़ोतरी वगैरह करके शिक्षा का व्यापारीकारण करना बंद करो।
- लाखों खाली पड़े सरकारी पदों पर बेरोजगार युवाओं को भर्ती करो। स्कीम वर्कर्स को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो। मनरेगा के तहत 365 दिन काम दिया जाए और स्कीम में हर तरह के कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार पर रोक लगाओ। जब तक काम या नौकरी नहीं देते, तब तक बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दो।
- पूंजीपतियों के स्वार्थ साधने के लिए औद्योगिकीकरण और माइनिंग डेवलपमेंट के नाम पर लोगों को उनके घरों और खेती की जमीन से बेदखल करने पर रोक लगाओ। खाली पड़ी बंजर जमीन पर श्रम प्रधान उद्योग लगाओ।
- आदिवासियों, जंगल में रहने वालों और बेजमीन लोगों को जमीन के अधिकारों का रिकॉर्ड दो और वन अधिनियम 2023 में बदलाव को रद्द करो।
- खेती की उपज के एमएसपी को कानूनी मंजूरी दो और सीधे बटाईदारों से फसल खरीदो।
- सभी कैजुअल और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले वर्कर्स को परमानेंट (पक्का) करो।
- झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को बिना सही पुनर्वास के न हटाया जाए।
- पीने का साफ पानी दो और जल स्रोतों के निजीकरण पर तुरंत रोक लगाओ। स्मार्ट मीटर लगाना बंद करो। इंसान-जानवर टकराव वगैरह के मामलों में प्रभावित लोगों को सही मुआवजा देना।
- रोजाना की जरूरत की सभी चीजों से जीएसटी हटाओ और महंगाई बढ़ने से रोकने के लिए कारगर कदम उठाओ।

रैली को पार्टी के केन्द्रय कमेटी सदस्य सह ओडिशा राज्य सचिव कॉमरेड शंकर दासगुप्ता, केन्द्रीय कमेटी सदस्य कॉमरेड द्वारिकानाथ रथ, राज्य सचिवमंडल सदस्य कॉमरेड बिष्णु दास, कॉमरेड सदाशिव दास और कॉमरेड अशोक मिश्रा के अलावा कॉमरेड जयसेन मेहर, कॉमरेड केदारनाथ साहू, कॉमरेड सरोजिनी साहू, कॉमरेड लियोन तिर्की, कॉमरेड शांति चाकी, कॉमरेड सोमनाथ बेहरा और कॉमरेड राज किशोर मलिक ने भी संबोधित किया। सभा की अध्यक्षता कॉमरेड स्वयंप्रभा नायक ने की।

कॉमरेड शंभूनाथ नायक, कॉमरेड रघुनाथ दास, कॉमरेड सुरेंद्र मलिक, कॉमरेड नृसिंह पंडा और कॉमरेड अजीत नायक के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सरकार को एक ज्ञापन सौंपा। पार्टी ने 9 से 15 दिसंबर तक पूरे राज्य में विरोध सप्ताह मनाने का आह्वान किया।

भोपाल : मध्य प्रदेश में 94 हजार स्कूल बंद किये जाने के खिलाफ स्कूल बचाओ समिति की ओर से 30 नवंबर को नीलम पार्क में विरोध प्रदर्शन

लेबर कोडों की प्रतियां फूंकी

(पृष्ठ 1 का शेष)

राष्ट्रीय स्तर के नेता कॉमरेड रमेश पाराशर ने भी संबोधित किया।

भोपाल (मध्य प्रदेश) : चारों लेबर कोड रद्द करने की मांग को लेकर ट्रेड यूनियनों द्वारा इस दिन यहां विरोध प्रदर्शन किया गया और लेबर कोड की प्रतियां जलायी गईं।

ग्वालियर : श्रम संहिताएं लागू करने के खिलाफ केंद्रीय ट्रेड यूनियन एआईयूटीयूसी की ओर से 26 नवंबर को फूलबाग पर विरोध प्रदर्शन किया गया एवं चार श्रम संहिताओं की प्रातियां जलाई गईं।

इस अवसर पर एआईयूटीयूसी के मध्य प्रदेश सचिव कॉमरेड रूपेश जैन ने कहा कि कोरोना काल में जब मजदूर-कर्मचारी अपने घरों में कैद थे, उस समय केंद्र सरकार ने संसद में बिना किसी बहस के इन चारों श्रम संहिताओं को पारित कर दिया। तब से लेकर देश की 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और कर्मचारियों की स्वतंत्र फेडरेशनों द्वारा इन चारों श्रम संहिताओं के खिलाफ कई बार अखिल भारतीय हड़ताल करके भी विरोध किया गया, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा इसे नजरअंदाज किया गया और 21 नवंबर को इन श्रम संहिता को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी।

श्रम संहिताओं के लागू होने से ही देश में 29 श्रम कानूनों, जो देश के मजदूरों ने लंबे संघर्ष के बाद हासिल किये थे, को खत्म कर दिया गया। इन श्रम कानूनों के तहत मजदूरों को जो थोड़ी-बहुत राहत मिलती थी, वह भी खत्म कर दी गई है। मजदूरों को उनका वाजिव हक दिलाने के लिए बेहद जरूरी इन श्रम कानूनों में ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, मिनिमम वेज एक्ट, बोनस एक्ट आदि खत्म कर दिये गए, यहां तक कि हड़ताल करने का लोकतांत्रिक अधिकार भी मजदूरों से लगभग छीन लिया गया है। अब मजदूरों को हड़ताल करने के लिए 42 दिन पहले नोटिस देना होगा और अगर लेबर कोर्ट में मामला लंबित हो, तो मजदूर हड़ताल पर नहीं जा सकते। इसी तरह मजदूरों को यूनियन बनाने का अधिकार भी खत्म कर दिया गया। 'इज ऑफ डूइंग बिजनेस' के नाम पर देश के उद्योगपतियों को अधिक से अधिक अधिकार देने के लिए ही ये चार श्रम संहिताएं मजदूरों पर थोप दी गयी हैं, जो उनके हितों पर भारी कुठाराघात हैं। इन श्रम संहिताओं के लागू होने से मजदूर कंपनियों के गुलामों में तब्दील हो जाएंगे। उन्होंने मजदूर-कर्मचारियों से अपील की कि वे चारों श्रम संहिताओं को रद्द कराने एवं 29 श्रम कानूनों को पुन: बहाल कराने के लिए देशव्यापी जबरदस्त आंदोलन संगठित करें।

कार्यक्रम का संचालन प्रदीप माहौर ने किया। इस अवसर पर जयारोग्य हॉस्पिटल ठेका सफाई कर्मचारी यूनियन से धर्मवीर, विपिन, राहुल, नीतू, प्रीति, एवं भगत सिंह अखबार होकर यूनियन से प्रदीप माहौर, पुरुषोत्तम पलैया आदि उपस्थित थे।

कोट्टायम (केरल) : चार लेबर कोड को रद्द करने की मांग को लेकर एआईयूटीयूसी की ओर से 26 नवंबर को यहां विरोध प्रदर्शन किया गया।

सोनीपत (हरियाणा): केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के बैनर तले 26 नवंबर को यहां पंचायत भवन में मजदूर-कर्मचारी इकट्ठा हुए। वहां हुई सभा की अध्यक्षता कॉमरेड श्रद्धानंद सोलंकी ने की।

राजनीतिक शिक्षण शिविर आयोजित

रोहतक: शिक्षण शिविर का संचालन करते हुए कॉमरेड शंकर घोष

रोहतक (हरियाणा) : एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) की हरियाणा राज्य कमेटी की तरफ से स्थानीय श्रीकृष्ण धर्मशाला में 29-30 नवंबर को दो दिवसीय राजनीतिक शिक्षण शिविर का सफल आयोजन किया गया। इसका संचालन पार्टी के केंद्रीय कमेटी सदस्य कॉमरेड शंकर घोष और पॉलित ब्यूरो सदस्य कॉमरेड सत्यवान ने किया।

ओडिशा में जिंदल-पोस्को के लिए भूमि अधिग्रहण और किसानों पर की गई दमनकारी कार्रवाई का किया विरोध

पिलानी (राजस्थान) : ओडिशा के क्योंझर जिले में 18 गांवों की लगभग 1100 एकड़ जमीन जिंदल-पोस्को समूह को सौंपे जाने और शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे ग्रामीणों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ झेरली में 28 नवम्बर को एआईकेकेएमएस के कार्यकर्ताओं ने रोष प्रदर्शन किया। वक्ताओं ने गिरफ्तार सभी किसान नेताओं को बिना शर्त रिहा करने की मांग की।

कॉमरेड ईश्वर सिंह राठी ने कहा कि केंद्र सरकार के इस घोर मजदूर-विरोधी फैसले से मजदूर वर्ग में बहुत रोष व्याप्त है। सरकार एक के बाद एक कानून में बदलाव करके अपने पसंदीदा पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। अब ड्यूटी के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 किये जा रहे हैं। मालिकों को 300 से कम कर्मचारियों वाली फैक्ट्रियों में जब चाहें, बिना सरकारी इजाजत के मजदूरों को नौकरी से निकालने का अधिकार दे दिया है। महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की इजाजत देने वाला कानून बनाया गया है, उन जगहों पर भी जहां वे दिन में सुरक्षित नहीं हैं।

मीटिंग के बाद पंचायत भवन से जोरदार नारे लगाते हुए एक बड़ा जुलूस निकला और उपायुक्त, सोनीपत के कार्यालय तक गया। नायब तहसीलदार श्री सोमेश्वर वशिष्ठ के जरिये प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भेजा गया और लेबर कोड की प्रतियां जलायी गईं।

सभा को सीटू, इंटक व एसकेएम के नेताओं के अलावा एआईयूटीयूसी के राज्य सचिव कॉमरेड हरिप्रकाश ने भी संबोधित किया।

PRGI Regn. No. 43022

खामोश तबाहीः आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से 3 करोड़ 8 लाख लोगों की मौत

ये वे मरे हुए लोग हैं, जो खबरों की सुर्खियां नहीं बनते। उनके नाम स्मारकों पर नहीं लिखे जाते, न ही उनकी मौत को युद्ध में मारे गये लोगों में गिना जाता है। वे साम्राज्यवादी खेमे के खामोश, शनैः-शनैः और अफसरशाही तरीके से किये गये हमले के शिकार हैं। ये वे लाखों लोग हैं, जो बमों, मिसाइलों या गोलियों की वजह से नहीं, बल्कि लगातार भूख, आरोग्य-साध्य बीमारियों और सेहत के सिलसिलेवार बिगड़ने की वजह से मारे गये हैं। क्योंकि आधी सदी से भी ज्यादा समय से अमेरिकी और यूरोपियन साम्राज्यवादी ताकतों ने उन देशों के खिलाफ एक गुप्त युद्ध छेड़ रखा है, जो उनके हुक्म के आगे झुकने से मना कर रहे हैं। यह युद्ध किसी खास हथियार से शुरू नहीं किया गया है, बल्कि यह एकतरफा आर्थिक प्रतिबंध है, जिसमें बड़े पैमाने पर मौतें शामिल हैं। इसका आंकड़ा ज्यादातर आधुनिक हथियारबंद लड़ाइयों में होने वाली सीधी मौतों से कहीं ज्यादा है। यह हमारे समय के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा माने गये मानवीय अपराधों में से एक है।

अमेरिकी और यूरोपियन साम्राज्यवादी ताकतें लम्बे समय से अपने एकतरफा प्रतिबंधों को कूटनीतिक और मानवाधिकारों की भाषा में छिपाती रही हैं और उन्हें सैन्य दखलंदाजी के शांतिपूर्ण विकल्प के तौर पर पेश करती रही हैं। यह एक खतरनाक परिकल्पना है। दरअसल, ये उपाय साम्राज्यवादी ताकत के बेहतर साधन हैं, जिन्हें उन 'बदमाश' देशों के 'हुक्म न मानने वाली' सरकारों को अनुशासन में रखने और खत्म करने के लिए तैयार किया गया है, जो साम्राज्यवादी दबदबे को चुनौती देने और अपना आजाद रास्ता बनाने की हिम्मत करते हैं। यह ब्लूप्रिंट दशकों पहले ही तैयार हो गया था। 1970 में, जब चिली के लोगों ने पेंटागन के शासकों की नाराजगी के बावजूद समाजवादी नेता साल्वाडोर अलेंदे को लोकतांत्रिक तरीके से देश का राष्ट्रपति चुना, तो तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने अपने अधिकारियों को चिली की अर्थव्यवस्था पर प्रतिबंध लगाकर यानी व्यापार पर रोक लगाकर या एसेट फ्रिज करके उसे मुश्किल में डालने का आदेश दिया। प्रतिबंधों का मकसद निशाने पर लिये गये देश की नीतियों या कार्रवाइयों में बदलाव हेतु मजबूर करने के लिए आर्थिक मुश्किलें पैदा करना होता है। नतीजा काफी क्रूरतापूर्ण रहा। लोगों की दुख-तकलीफों और गरीबी का फायदा उठाते हुए अमेरिका समर्थित सैन्य तानाशाह ऑगस्टो पिनोशे ने अमेरिकी साम्राज्यवादियों की मदद से तख्तापलट किया, साल्वाडोर अलेंदे की हत्या की और 1974 में देश का राष्ट्रपति बन बैठा। यह तरीका असरदार साबित हुआः लोगों को भूखा रखकर सरकार गिरायी जा सकती है। 1970 के दशक में औसतन 15 देश प्रतिबंध के दायरे में थे, लेकिन इसके बाद पश्चिमी देशों की प्रतिबंध लगाने वाली मशीन ने इस दायरे को बढ़ाने में बेरहमी से काम किया। 1990 और 2000 के दशक तक, यह संख्या दोगुनी होकर 30 हो गयी। आज, 2025 में 60 से ज्यादा देश–जिनमें से ज्यादातर दुनिया के दक्षिण के देश हैं–प्रतिबंध के रूप में आर्थिक युद्ध के इस जाल में फंस चुके हैं। जो कभी निशाने पर लिये गये देशों को तंगो-तबाह करने का एक साधन था, अब वह अड़ियल देशों को सजा देने की व्यापक नीति बन गया है।

खास मामलों में इंसानों की मौत के बारे में सही से जानकारी दी गयी है, हालांकि अक्सर इसे जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। 1990 के दशक में इराक में अमेरिका और ब्रिटेन के जोरदार समर्थन से संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध की वजह से आदमी की बनायी हुई इंसानी तबाही हुई। हाल ही में, अमेरिका के नेतृत्व में वेनेजुएला पर की गयी आर्थिक घेराबंदी को अर्थशास्त्रियों ने "सामूहिक सजा" बताया है। सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च के एक अध्ययन का अनुमान है कि केवल 2017-2018 में प्रतिबंध की वजह से देश के भोजन और दवा आयात करने की क्षमता कम हो जाने से 40,000 से ज्यादा मौतें हुईं।

अब तक इस तबाही का पूरा वैश्विक पैमाना स्पष्ट नहीं किया गया था, वह मामले के अध्ययन से नहीं जुड़ा था, जिससे नीति-निर्माताओं को इस बात की छूट मिल जाती थी कि वे हर दुखद घटना को एक अलग-थलग घटना मान लें। हमारी समझ में बहुत बड़े बदलाव के साथ इसमें परिवर्तन आया है। इस साल 'द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ' में प्रकाशित एक महत्वपूर्ण अध्ययन ने 1970 से 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से जुड़ी मौतों का पहला सामग्रिक और वैश्विक मूल्यांकन दिया। इसके नतीजे चौंकाने वाले फोरेंसिक सबूत हैं। मुख्य अनुमान अपने बड़े पैमाने पर लगभग समझ से बाहर हैः "3 करोड़ 8 लाख की मौतें।" मुख्य हत्यारे धमाके नहीं हैं, बल्कि आर्थिक तंगी के धीमे, पर दर्दनाक नतीजे हैं, जिसमें कुपोषण, पानी और साफ-सफाई व्यवस्था का ध्वस्त होना तथा स्वास्थ्य सेवा ढांचे का विफल होना शामिल है। प्रतिबंध लगाने का तर्क, लोगों को सुनियोजित रूप से वंचित करने का तर्क है। अप्रैल 1960 की अमेरिकी गृह विभाग की एक सार्वजनिक अधिसूचना, जिसमें फिदेल कास्त्रो के क्यूबा के खिलाफ रणनीति बतायी गयी है, उस क्रूर गणना का पर्दाफाश करता है। इसमें कहा गया था कि इसका मकसद "क्यूबा के आर्थिक जीवन को कमजोर करना," "पैसे देने और सामानों की आपूर्ति करने से मना करना," और, साफ शब्दों में कहा जाये, तो "भूख, निराशा और सरकार को उखाड़ फेंकना" था। इराक, ईरान और फिलिस्तीन–सभी प्रतिबंध के दायरे में हैं।

भुखमरी कोई अचानक घटित होने वाली घटना नहीं हैः यह मुख्य पद्धति है। बैंकों को वित्तीय लेन-देन के बारे में सुरक्षित रूप से जानकारी भेजने और पाने में मदद करने वाली वैश्विक मैसेजिंग नेटवर्क विश्वव्यापी अंतर बैंकीय वित्तीय दूरसंचार समिति (सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन-SWIFT) वित्तीय तंत्र को नियंत्रित करते हुए अमेरिकी डॉलर और यूरो का दबदबा कायम करती है। यह और जरूरी तकनीकी तक पहुंच के जरिये अमेरिकी और यूरोपियन साम्राज्यवादी एकतरफा किसी देश के आर्थिक नसों को काट सकते हैं। वे उसके एसेट्स को फ्रीज कर सकते हैं, उसके व्यापार पर रोक लगा सकते हैं और उसके केन्द्रीय बैंक को पंगु बना सकते हैं। इसका नतीजा है हाइपर इन्फ्लेशन, क्रय शक्ति का खत्म होना और सार्वजनिक सेवा व निजी बाजार–दोनों का ध्वस्त होना। जब कोई मां अपने बच्चे के लिए भोजन या पेचिश के इलाज के लिए दवा नहीं ढूंढ़ पाती है, तो यह कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है। यह इस कवायद का सही बिंदु है।

दमन-उत्पीड़न की यह व्यवस्था आधुनिक साम्राज्यवादी साजिश का आधार है। यह सेना तैनात करने के राजनीतिक खर्च से बचते हुए शक्ति-प्रदर्शन की इजाजत देता है। यह एक भू-राजनैतिक संकट से कहीं ज्यादा है; यह एक बहुत बड़ी नैतिक अनिवार्यता है। हर साल साम्राज्यवादी दबदबे की वेदी पर पांच लाख लोगों की बलि दी जाती है। इसे बेरोकटोक चलने नहीं दिया जा सकता। एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था, जो अपनी मर्जी लागू करने के लिए बच्चों को बड़े पैमाने पर भूखा रखने पर निर्भर करती है, कानून पर आधारित व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह एक आपराधिक कृत्य है। इन लाखों मौतों को लेकर जो खामोशी है, उसे कड़ी पाबंदियों के जरिये लोगों को भूखों मारने की साम्राज्यवादी योजना के खिलाफ आवाज उठाकर तोड़ना होगा।

महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन

मध्य प्रदेश के रायसेन, गुना, ग्वालियर और रीवा में हाल ही में 2025 में नवंबर माह में मासूम बच्चियों, छात्राओं और महिलाओं के साथ दर्दनाक दुष्कर्म की घटनाएं घटित हुई हैं। इन घटनाओं से जनता में भारी रोष व्याप्त है। महिलाएं असुरखित महसूस करती हैं।

मध्य प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, दुष्कर्म करने वाले अपराधियों को उदाहरणमूलक सजा देने, शराबखोरी-नशाखोरी पर रोक लगाने, अश्लीलता, अपसंस्कृति और पॉर्न साइट पर सख्ती से रोक लगाने की मांग को लेकर ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन (एआईएमएसएस) मध्य प्रदेश कमेटी की ओर से राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन 27-28 नवंबर को किया गया और ज्ञापन दिया गया।

महिला संगठन एआईएमएसएस, छात्र संगठन एआईडीएसओ, युवा संगठन एआईडीवाईओ द्वारा मध्य प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर, गुना, इंदौर, सागर व अन्य जिलों में विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या आम महिलाएं, छात्र और नौजवान शामिल हुए।

जबरन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ सौंपा ज्ञापन

मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) : एमडीए द्वारा 1250 हेक्टेयर कृषि भूमि अधिग्रहण के विरोध में 26 नवंबर को यहां एआईकेकेएमएस द्वारा अधिकारियों की मार्फत मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में भूमि अधिग्रहण रोकने के अलावा एमएसपी गारंटी कानून बनाने और कपूर कंपनी सब्जी मंडी बहाल करने की भी मांग की गई।

ऐतिहासिक किसान आंदोलन की 5वीं वर्षगांठ के मौके पर देशभर में किसानों के धरने-प्रदर्शन, सौंपे ज्ञापन

26 नवंबर को ऐतिहासिक किसान आंदोलन की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर देशभर में राज्यों की राजधानियों और जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कार्यक्रम के तहत संयुक्त धरने-प्रदर्शन आयोजित किये गये।

हिसार (हरियाणा) : संयुक्त किसान मोर्चा व ट्रेड यूनियनों के साझा मंच के आह्वान पर 26 नवंबर को यहां प्रदर्शन आयोजित किया गया। इसमें एआईकेकेएमएस की भी अच्छी भागीदारी रही।

पूर्वी सिंहभूम (झारखंड) : संयुक्त किसान मोर्चा, पूर्वी सिंहभूम, झारखंड के बैनर तले 26 नवंबर को यहां पूर्वी सिंहभूम जिला में भी किसान-मजदूरों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर संयुक्त प्रदर्शन किया गया।

भारतीय नवजागरण के प्रणेता राजा राम मोहन राय को अंग्रेजों का दलाल बताने वाले मुख्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री माफी मांगें

—एआईडीएसओ

ऑल इण्डिया डेमोक्रेटिक स्टूडेण्ट्स ऑर्गनाइजेशन (एआईडीएसओ) के मध्य प्रदेश अध्यक्ष कॉमरेड अजीत सिंह पंवार ने उक्त बयान जारी करते हुए कहा कि प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार द्वारा 15 नवम्बर को एक कार्यक्रम में दिये गए विवादित और ऐतिहासिक तथ्यों से परे उक्त बयान की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, जिसमें नवजागरण काल के महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय को "अंग्रेजों का दलाल" बताया गया है। यह बयान न केवल भारतीय नवजागरण के इतिहास को विकृत करने का प्रयास है, बल्कि आधुनिक भारतीय समाज के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने वाले महान समाज सुधारकों के प्रति घोर असम्मान भी है।

राजा राम मोहन राय ने भारतीय समाज को रूढ़ियों, कुप्रथाओं और अंधविश्वासों से मुक्ति दिलाने की दिशा में निर्णायक भूमिका निभाई। सती प्रथा के उन्मूलन, महिलाओं के अधिकार, आधुनिक शिक्षा, धर्म और विवेक की स्वतंत्रता, तथा वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने में उनका योगदान भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों से दर्ज है।

उन्हें अंग्रेजों का दलाल कहना न केवल ऐतिहासिक रूप से गलत है, बल्कि समाज को भटकाने और सामाज सुधारकों की विरासत को कलंकित करने का कुत्सित प्रयास है। जिन पर प्रदेशभर में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी है, उनकी इस तरह की मानसिकता दर्शाती है कि महापुरुषों को लेकर उनकी जानकारी और समझदारी कितने निम्न स्तर की है। जिस बात का ज्ञान न हो, तो चुप रहना बेहतर होता है। लेकिन इस तरह की बयानबाजी इतिहास में जिन्होंने वाकई अंग्रेजों की दलाली की उनके काले इतिहास को छुपाने और प्रगतिशील सोच को खत्म कर देश को पुनः अंधविश्वास और कुसंस्कार में धकेलने के मकसद से की जा रही है।

यह बात एआईडीएसओ स्पष्ट करना चाहता है कि भारतीय पुनर्जागरण की धारा को कमजोर करने, वैज्ञानिक चेतना और तार्किक सोच को चोट पहुंचाने तथा शिक्षा के लोकतांत्रिक चरित्र को नष्ट करने की हर कोशिश का विरोध किया जाएगा। समाज को विभाजित करने वाले बयान, इतिहास को तोड़ने-मरोड़ने वाली राजनीति और शिक्षा के साम्प्रदायीकरण की किसी भी मुहिम को छात्र-युवा कभी स्वीकार नहीं करेंगे।

हम मांग करते हैं :

1. शिक्षा मंत्री अपने बयान को वापस लें और सार्वजनिक रूप से माफी मांगें।
2. इतिहास के राजनीतिक दुरुपयोग पर तुरंत रोक लगाई जाए।
3. शिक्षा व्यवस्था को सांप्रदायिक और प्रतिक्रियावादी हस्तक्षेपों से मुक्त रखा जाए।

एआईडीएसओ सभी प्रगतिशील, लोकतांत्रिक और वैज्ञानिक सोच रखने वाले छात्रों, शिक्षकों और नागरिकों से पुरजोर अपील करता है कि हमारे देश के समाज सुधारक महापुरुषों की छवि को धूमिल करने वाले और समाज में भ्रम फैलाने वाले बयानों का वे डटकर विरोध करें।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चल रहे छात्र आन्दोलन का समर्थन करते हुए एआईडीएसओ ने की छात्रों का निलंबन रद्द करने व अन्य मांगों को अविलम्ब पूरा करने की मांग

इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) : ऑल इण्डिया डेमोक्रेटिक स्टूडेण्ट्स ऑर्गनाइजेशन (एआईडीएसओ) के उत्तर प्रदेश राज्य सचिव कॉमरेड दिलीप कुमार ने 25 नवम्बर को जारी प्रेस बयान में कहा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गैर जनवादी ढंग से किये गये चार छात्रों का निलंबन रद्द करने और पीने का साफ पानी, साफ टॉयलेट, समुचित लाइब्रेरी उपलब्ध कराने सहित अन्य मांगों लेकर लगातार चल रहे छात्र आन्दोलन का एआईडीएसओ उत्तर प्रदेश राज्य कमेटी पूरी तरह से समर्थन करती है और विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करती है कि छात्रों की सभी जायज मांगें अविलम्ब पूरी की जायें और चारों छात्रों के निलंबन तुरंत वापस लिये जायें।

उन्होंने कहा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन परिसर को पूरी तरह से छात्रों की सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों से मुक्त रखना चाहता है। विदित हो कि 20 नवम्बर को मशहूर शायर फैज अहमद 'फैज' के स्मृति दिवस पर छात्रों द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी गई। इसके विपरीत कार्यक्रम के आयोजकों में शामिल छात्राओं से चीफ प्रॉक्टर व प्राक्टोरियल बोर्ड द्वारा बदतमीजी से पेश आते हुए स्त्री-विरोधी व जातिसूचक गालियां दी गईं और छात्राओं सहित चार छात्रों को विश्वविद्यालय से निलम्बित कर दिया गया। दूसरी तरफ, छात्रों की अन्य जायज मांगों पर भी प्रशासन विचार नहीं कर रहा है। छात्र आन्दोलन को तोड़ने के लिए पुलिस का प्रयोग किया जा रहा है। यह घटनाक्रम दर्शाता है कि विश्वविद्यालय परिसर में लोकतांत्रिक माहौल अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। विश्वविद्यालय का यह तानाशाहीपूर्ण रवैया छात्र-विरोधी व शिक्षा विरोधी है, जो घोर निन्दनीय है। दरअसल सिर्फ इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही नहीं, बल्कि देशभर के विश्वविद्यालयों की स्थिति कमोबेश इसी तरह की है। सभी परिसरों में छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों को संकुचित किया जा रहा है और छात्र संघ चुनाव प्रतिबंध किया जा रहा है।

अतः छात्र संगठन एआईडीएसओ मांग करता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों की समस्त मांगों को पूरा करते हुए चारों छात्रों का निलंबन बिना शर्त अविलम्ब रद्द करे। चीफ प्रॉक्टर को निलंबित किया जाए। विश्वविद्यालय में लोकतांत्रिक माहौल बरकरार रखने के लिए छात्र संघ चुनाव करवाया जाए।

PRGI Regn. No. 43022

श्रम संहिताओं (लेबर कोड्स) की अधिसूचना देश के मेहनतकशों के साथ एक कपटपूर्ण धोखा

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने किया कड़ा विरोध

10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों–इंटक, एटक, एचएमएस, सीआईटीयू, एआईयूटीयूसी, टीयूसीसी, सेवा, एआईसीसीटीयू, एलपीएफ और यूटीयूसी–के संयुक्त मंच की ओर से प्रारंभिक प्रतिक्रिया स्वरूप 21 नवंबर 2025 को जारी संयुक्त बयान में कहा गया:

ट्रेड यूनियनों का संयुक्त मंच 26 नवंबर को संघर्षपूर्ण प्रतिरोध और अवज्ञा का आह्वान करता है।

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का संयुक्त मंच 21 नवम्बर से मजदूर-विरोधी और मालिक परस्त श्रम संहिताओं को खुलेआम एकतरफा लागू करने की कड़ी निंदा करता है। हम इसे राष्ट्र के मेहनतकशों के साथ केंद्र सरकार द्वारा किया गया कपटपूर्ण धोखा मानते हैं।

21 नवंबर 2025 को अधिसूचित की गई इन चार तथाकथित ''श्रम संहिताओं'' की इस मनमानी और अलोकतांत्रिक अधिसूचना ने सभी लोकतांत्रिक सिद्धांतों को ताक पर रख दिया है और भारत के कल्याणकारी राज्य के चरित्र को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है।

दस केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और स्वतंत्र औद्योगिक महासंघों का संयुक्त मंच इन कठोर श्रम संहिताओं के अधिनियमित होने के दिन से ही इनका विरोध कर रहा है, जिन्होंने मौजूदा 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को निरस्त कर दिया है। 2019 में वेतन संहिता (Code on Wages) के अधिनियमित होने के तुरंत बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, जो जनवरी 2020 में एक आम हड़ताल में परिणत हुए। और जब अन्य तीन श्रम संहिताएं, यानी औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य शर्तें संहिता, सितंबर 2020 में अधिनियमित की गईं, तो तुरंत विरोध प्रदर्शन किये गए और ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच द्वारा 26 नवंबर को ऐतिहासिक आम हड़ताल आयोजित की गई, साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) द्वारा ऐतिहासिक 'दिल्ली चलो' आंदोलन भी हुआ। इसके अलावा, कई संयुक्त कार्रवाइयां हुईं, जिनके अंजाम के तौर पर हाल ही में 9 जुलाई 2025 की आम हड़ताल हुई, जिसमें 25 करोड़ से अधिक मजदूरों ने भाग लिया था।

कड़े विरोध के बावजूद, केंद्र सरकार में सत्तारूढ़ पार्टी बिहार चुनावों में मिली जीत से उत्साहित होकर, मीडिया रिपोर्टों और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के ट्वीट्स के अनुसार, 21 नवम्बर से चार श्रम संहिताओं को प्रभावी बनाने के लिए स्वयं को अत्यधिक सशक्त महसूस कर रही है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने तुरंत भारतीय श्रम सम्मेलन (**आईएलसी**) बुलाने का आग्रह किया था और 13 नवंबर को मसौदा 'श्रम शक्ति नीति 2025' पर मंत्रालय द्वारा बुलाई गई बैठक में भी श्रम संहिताओं को खारिज करने का आग्रह किया था। यहां तक कि वित्त मंत्रालय द्वारा 20 नवंबर को आयोजित बजट-पूर्व परामर्श बैठक में भी ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच की ओर से श्रम संहिताओं को रद्द करने और 2015 के बाद से आयोजित नहीं किये गए आईएलसी को बुलाने का आग्रह किया गया था। सरकार हठपूर्वक अनुत्तरदायी बनी रही।

इसके बजाय, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की किसी भी अपील, विरोध या हड़ताल पर ध्यान दिये बिना, इस केंद्र सरकार ने नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों तथा बीएमएस और सरकार के अन्य समर्थक तत्वों द्वारा बजट-पूर्व परामर्श बैठक में की गई मांगों को पूरा करने के लिए श्रम संहिताओं को प्रभावी बना दिया है।

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने सरकार के इस कदम को घोर अलोकतांत्रिक, अत्यधिक प्रतिगामी, श्रमिक-विरोधी और नियोक्ता-समर्थक बताते हुए इसकी निंदा की है और सबसे कड़े शब्दों में दोहराया है कि मेहनतकशों पर इस घातक हमले का इतिहास में सबसे जबरदस्त और सबसे एकजुट विरोध के साथ मुकाबला किया जाएगा। केंद्रीय ट्रेड यूनियनें एक स्वर में इन संहिताओं को मजदूरों के जीवन-आजीविका पर जनसंहारक हमले करार देती हैं, जिनका उद्देश्य वस्तुतः गुलामी थोपना और मजदूरों के प्रत्येक अधिकार और हक को छीन लेना है। अगर ये संहिताएं लागू हो गईं, तो आने वाली पूरी पीढ़ियों की आशाओं, विश्वास और आकांक्षाओं का दीप बुझा देंगी।

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और स्वतंत्र औद्योगिक महासंघों का संयुक्त मंच भारत के मेहनतकशों से आह्वान करता है कि वे देशभर में, हर कार्यस्थल पर, श्रम संहिताओं को रद्द करने और मसौदा 'श्रम शक्ति नीति 2025' को वापस लेने की मांग करते हुए, संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) के नेतृत्व में किसानों के साथ मिलकर 26 नवंबर 2025 को संघर्षपूर्ण प्रतिरोध और अवज्ञा की संयुक्त कार्रवाई में गुस्से में उठ खड़े हों। संयुक्त मंच अपने सभी सदस्यों का आह्वान करता है कि वे विरोध प्रदर्शित करने के लिए अभी से कार्यस्थलों पर काले बिल्ले (ब्लैक बैज) पहनें। सोमवार से शुरू करके, केंद्र सरकार की मुनाफाखोरों के लिए धन उत्पादकों के पूरे वर्ग को गुलाम बनाने की योजनाओं का पर्दाफाश करने के लिए युद्ध स्तर पर गेट मीटिंग, नुक्कड़ सभाएं, बस्तियों में बैठकें आदि आयोजित की जानी चाहिए।

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का संयुक्त मंच कड़े शब्दों में एलान करता है कि गहराते बेरोजगारी संकट और बढ़ती महंगाई के बीच इन संहिताओं की अधिसूचना मेहनतकशों पर युद्ध की घोषणा से कम नहीं है। केंद्र सरकार अपने पूंजीपति मित्रों के साथ मिलकर देश को मालिक-गुलाम संबंध के शोषणकारी युग में वापस ले जाने का प्रयास कर रही है।

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का संयुक्त मंच सरकार को गंभीर चेतावनी देता है कि भारत के मेहनतकश इन श्रम संहिताओं को वापस लिये जाने तक जबरदस्त लड़ाई लड़ेंगे।

वित्त मंत्री के साथ बजट-पूर्व बैठक

नई दिल्ली : केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (सीटीयू) के संयुक्त मंच की ओर से मजदूरों का 20-सूत्री मांगपत्र एआईयूटीयूसी, एचएमएस, सीआईटीयू, एटक, सेवा और एआईसीसीटीयू के प्रतिनिधियों ने 20 नवंबर 2025 को वित्त मंत्रालय द्वारा कर्तव्य भवन में बुलाई गई 2026-27 बजट-पूर्व परामर्श बैठक में रखा। बैठक में एनपीएस व यूपीएस की जगह पर ओपीएस देने, 45वीं आईएलसी की सिफारिश अनुसार स्कीम वर्कर्रों को श्रमिक का दर्जा देते हुए न्यूनतम वेतन देने, आंगनवाड़ी वर्कर्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने, गिग व प्लेटफॉर्म वर्कर्रों की सेवा स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कानून व राष्ट्रीय नीति बनाने, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा को बेहतर और मजबूत बनाने और अमीर और गरीब की खाई को काम करते हुए अमीरों पर टैक्स बढ़ाने के मुद्दों को उठाया। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के मुद्दे को भी उठाया गया। बीएमएस, एनएफआईटीयू और टीयूसीसी के विरोधी गुट ने सभी लेबर कोड तुरंत लागू करने की अपील की, जबकि अन्य ट्रेड यूनियनों ने इस पर अपनी असहमति दर्ज की।

केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री के साथ-साथ वित्त सचिव और श्रम सचिव भी बैठक में मौजूद थे।

एआईयूटीयूसी के कॉमरेड हरीश त्यागी, एटक की कॉमरेड अमरजीत कौर, एचएमएस के कॉमरेड हरभजन सिंह सिद्धू, सीटू के कॉमरेड के एन उमेश, एआईसीसीटीयू के कॉमरेड राजीव डिमरी, एलपीएफ के कॉमरेड वेलुस्वामी और सेवा की कॉमरेड मनाली शाह ने 20-सूत्री मांगपत्र के पहलुओं को पेश किया और केन्द्रीय वित्त मंत्री से उन पर विचार करने की अपील की। गीता मेनन ने घरेलू कामगारों का प्रतिनिनिधित्व किया, शेख सलाउद्दीन ने गिग और प्लेटफॉर्म इकॉनोमी वर्कर्रों का प्रतिनिधित्व किया। इंटक और टीयूसीसी को फिर से आमंत्रित नहीं किया गया।

बीएमएस के सुरेंद्रन ने अपने अलग-अलग पहलू पेश किये और टीयूसीसी (तिवारी) और एनएफआईटीयू के प्रतिनिधियों ने उनका समर्थन किया।

महान समाज सुधारक और भारतीय नवजागरण के पथ प्रदर्शक

ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उद्घाटन कार्यक्रम

नागपुर (महाराष्ट्र): नवजागरण काल के महान विचारक और समाज सुधारक क्रांतिकारी ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती की पूर्व संध्या पर 28 नवम्बर को विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन, नागपुर में एक सेमिनार और सांस्कृतिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।

नागपुर: समारोह को संबोधित करते हुए कॉमरेड शिवाशीष प्रहराज

कार्यक्रम का उद्घाटन डॉ. निकेतन जांभुलकर (असिस्टेंट प्रोफेसर, सर्जरी विभाग, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, नागपुर) ने किया। मुख्य अतिथि, प्रो. एस. वी. खंडीवाले (पूर्व प्रोफेसर और हेड, अर्थशास्त्र विभाग, नागपुर विश्वविद्यालय) ने फुले के प्रगतिशील विचारों और भारतीय समाज में उनके बेमिसाल योगदान पर प्रकाश डाला। मुख्य वक्ता एआईडीएसओ के महासचिव कॉमरेड शिवाशीष प्रहराज ने सार्वजनिक शिक्षा बचाने के आंदोलन पर फुले के विचारों की आज भी प्रासंगिकता पर जोर दिया। एआईडीएसओ के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के सचिव कॉमरेड मणिशंकर पटनायक ने फुले के मानवतावादी नजरिये और शोषण-जुल्म के खिलाफ उनके संघर्ष के वैश्विक महत्व पर बात की। केन्द्रीय परिषद के अध्यक्ष कॉमरेड सौरव घोष ने उद्धरण प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर संगठन के उपाध्यक्ष कॉमरेड चंदन संतरा भी मौजूद थे। केन्द्रीय परिषद सदस्य और नागपुर जोन के प्रभारी कॉमरेड आशीष लोखंडे ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

छात्र, शिक्षक और आम लोगों समेत वहां मौजूद सभी ने वक्ताओं के प्रेरणादायक विचारों का गर्मजोशी से स्वागत किया।

Printed and published by Com. Satyawan on behalf of the Central Committee of the Socialist Unity Centre of India (Communist) and printed at M/s Marutinandan Printers and Publishers, Shakti Complex,6/18, Sameypur Industrial Area, Delhi-110042 and published at 3A/38, WEA, Satnagar, Karol Bagh, New Delhi-110005.
Editor: Comrade Satyawan, Member, Central Committee, SUCI(C). **Phone No. : 9416763089, 9868350503** Email: **sarvaharadrishtikon@gmail.com**